

# दिल्ली विधान सभा

## समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
बुधवार, 12 अप्रैल, 2006/चैत्र 22, 1928(शक)

संख्या- 155

### विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, अतिरिक्त उपायुक्त, पश्चिमी जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, डॉ. जगदीश मुखी और श्री करण सिंह तंवर को सी.आर.पी.सी. की धारा 107/151 के अंतर्गत दिनांक 8.04.2006 को 1.15 बजे पुलिस स्टेशन, तिलक नगर, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

### BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)  
Wednesday 12<sup>th</sup> April 2006/22 Chaitra 1928

No. 155

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl DCP, West Dist., Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Jagdish Mukhi and Shri Karan Singh Tanwar., Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 107/151 Cr.PcD.P. Act, at P.S. Tilak Nagar at 1.15PM on 8.4.2006.

Siddharath Rao  
Secretary